भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 169

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

169. डॉ. निशिकांत दुबे :
श्री मनोज तिवारी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) देश में विशेषकर झारखंड और बिहार में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष/नेशनल वीमेन फण्ड में पाई गई कमियों को दूर करने और इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): सरकार झारखंड और बिहार सहित देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन चक्र निरन्तरता के आधार पर उनसे संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र गति से और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें।

पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए कई पहल शुरू की गई हैं। भारत सरकार महिलाओं/बालिकाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है जिनमें सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, लगभग 9.98 करोड़ महिलाएं लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को कई अभिनव और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से बदल रही हैं इसके साथ ही ये सरकारी सहायता भी प्राप्त कर रही हैं जिसमें गिरवी मुक्त ऋण भी शामिल हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में यह अधिदेशित है कि इस योजना (मनरेगा) के तहत सृजित रोजगारों में कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दी जानी चाहिए। मनरेगा के तहत झारखंड, बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल महिला श्रम दिवसों का प्रतिशत) अनुलग्नक-I में दी गई है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना में मकानों का स्वामित्व महिला को देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यह निर्णय लिया गया है कि मकान का आवंटन विधुर/अविवाहित/अलग हो चुके व्यक्ति/ट्रांसजेंडर के अतिरिक्त महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत लाभान्वित महिलाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम जो कि कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफार्म से महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद मिल रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, रोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं आदि से संबंधित गतिविधियों वाली सहकारी समितियों में शामिल हैं। अन्य योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि शामिल हैं। महिला कामगारों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन भी शुरू किया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं। वेतन हानि के आंशिक मुआवजे और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधान मंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई) लागू की है जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से लगभग 3.29 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I में** दिया गया है।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 11.60 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 'उज्ज्वला योजना' के तहत गरीबी रेखा से नीचे 10.14 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस

कनेक्शन और 'जल जीवन मिशन' के तहत 19.26 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.21 करोड़ से अधिक को नल से पीने के पानी के कनेक्शन से जोड़ने से महिलाओं के कठिन परिश्रम और देखभाल के बोझ को कम करके उनके जीवन में बदलाव आया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के तहत प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य को शामिल करके 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का प्रयास किया जाता है।

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तथापि, आज पंचायती राज संस्थाओं में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। सरकार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ।

महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक पदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ी छलांग सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है। इसमें लोक सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सहित राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' को व्यापक योजना के रूप में लागू करता है। 'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएँ अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य" हैं। 'सामर्थ्य' उप-योजना के तहत ऐसा माहौल बनाने के लिए जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें एक नया घटक यानी हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (एचईडब्ल्यू) को केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। एचईडब्ल्यू के तहत सहायता में महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, देश भर में जिलों / ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध सेट अप में उनका मार्गदर्शन करने, उन्हें जोड़ने लिंक करने और हैंड होल्डिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। महिला सशक्तिकरण हब की स्थापना के लिए जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-।।** में दिया गया है।

(ग) : आरएमके की स्थापना के समय यह एक प्रमुख सरकारी निकाय था जो मध्यवर्ती संगठनों (आईएमओ) के माध्यम से गरीब महिलाओं को रियायती सूक्ष्म-वित्त पोषण ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में कार्य कर रहा था। समय के साथ, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न

सरकारी पहलों के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऋण सुविधा तंत्र उपलब्ध हो गए हैं। आरएमके द्वारा की जा रही गतिविधियाँ बैंकों द्वारा की जा रही हैं, जो 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सीधे ऋण दे रहे हैं।

आर्थिक मामलों विभाग (डीईए) के तत्कालीन प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा 'स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण' पर रिपोर्ट के आधार पर 'राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)' सहित 3 संगठनों को बंद करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को 6 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित कर दिया गया था। आरएमके के सभी नियमित कर्मचारियों की सेवाएँ 31 दिसंबर, 2023 से समाप्त हो गई हैं। उन सभी को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस) के तहत वे सभी लाभ प्रदान किए गए हैं जिनके वे हकदार हैं, इसके अतिरिक्त, आरएमके की सभी गतिविधियां 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दी गई हैं और उसी तारीख से बकाया ऋण पोर्टफोलियो 'जैसा है जहां है' के आधार पर सिडबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक -I

"ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण" के संबंध में 02.02.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत लाभान्वित महिलाओं का विवरण:

वर्ष	केवल महिलाओं के नाम पर स्वीकृत मकानों की संख्या	पत्नी और पति के नाम पर संयुक्त रूप से स्वीकृत मकानों की संख्या
2020-21	11,89,336	23,14,324
2021-22	10,43,728	17,53,373
2022-23	13,65,487	29,98,188
2023-24 (31.01.2024 तक)	2,23,353	5,72,165

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड, बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल प्रतिशत में से महिला श्रम दिवसों का प्रतिशत):

	महिला भागीदारी दर (%)			
राज्य/राष्ट्रीय/वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
झारखंड	42.56	45.61	47.56	47.88
बिहार	54.63	53.19	56.39	54.24
राष्ट्रीय स्तर	53.19	54.82	57.47	59.13

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,189	1,644	2,051	661
2	आंध्र प्रदेश	2,92,094	39,226	4,98,446	1,06,248
3	अरुणाचल प्रदेश	8,529	4,204	5,611	863
4	असम	2,01,400	2,85,471	2,23,291	1,22,128
5	बिहार	11,81,671	4,76,243	8,32,360	70,520
6	चंडीगढ़	7,986	8,119	8,743	1,305
7	छत्तीसगढ	1,83,332	1,92,578	2,32,490	62,555
8	दादरा और नागर हवेली	3,314	4,795	6,107	2,505

9	दमन और दीव	1,471			
10	दिल्ली	80,607	1,26,853	1,02,254	26,821
11	गोवा	6,187	4,217	6,724	1,594
12	गुजरात	1,62,926	93,330	2,97,845	41,608
13	हरियाणा	1,19,822	2,10,874	2,16,287	14,212
14	हिमाचल प्रदेश	67,530	66,039	62,920	10,210
15	जम्मू और कश्मीर	60,380	1,11,946	83,251	13,905
16	झारखंड	1,78,563	1,52,662	1,43,597	0
17	कर्नाटक	5,06,308	4,46,404	7,49,493	1,78,622
18	केरल	2,16,813	2,88,397	2,36,924	47,602
19	लद्दाख*	1,173	1,071	290	1,021
20	लक्षद्वीप	665	481	0	370
21	मध्य प्रदेश	9,33,964	9,10,109	9,50,226	2,73,892
22	महाराष्ट्र	8,08,517	7,82,527	7,81,877	80,071
23	मणिपुर	16,442	8,353	7,847	5,833
24	मेघालय	10,004	12,689	11,806	2,855
25	मिजोरम	7,376	8,151	8,771	1,654
26	नागालैंड	6,073	4,655	5,847	131
27	ओडिशा	0	0	0	0
28	पुदुचेरी	6,477	9,139	9,179	1
29	पंजाब	1,27,204	52,846	48,871	41,621
30	राजस्थान	4,51,863	4,76,509	5,58,542	1,38,245
31	सिक्किम	3,219	2,668	3,273	981
32	तमिलनाडु	4,69,571	2,74,703	2,33,325	3,25,980
33	तेलंगाना	0	0	0	0
34	त्रिपुरा	24,277	16,723	27,594	5,641
35	उत्तर प्रदेश	13,02,623	9,89,646	16,97,574	1,39,314
36	उत्तराखंड	80,994	71,952	21,280	33,602
37	पश्चिम बंगाल	11	2	8,83,177	0

*****

अनुलग्नक-।।

"ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण" के संबंध में 02.02.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एचईडब्ल्यू की स्थापना के लिए जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई राशि**	
		2022-23	**2023-24 (31.01.2024 तक)**
1.	आंध्र प्रदेश	2,12,49,000	
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,07,17,000	
3.	असम	4,22,82,000	10,71,63,000
4.	बिहार	3,05,01,000	
5.	छत्तीसगढ़	2,66,46,000	
6.	दिल्ली	96,84,000	
7.	गोवा	0	30,37,500
8.	गुजरात	2,66,46,000	3,52,62,000
9.	हरियाणा	1,81,65,000	
10.	हिमाचल प्रदेश	1,56,82,500	2,00,47,500
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0	2,49,34,500
12.	झारखंड	12,03,000	1,85,04,000
13.	कर्नाटक	0	2,51,04,000
14.	केरल	1,19,97,000	1,53,09,000
15.	मणिपुर	2,03,08,500	
16.	मेघालय	1,56,82,500	2,88,56,250
17.	मिजोरम	1,45,26,000	1,39,32,000
18.	नागालैंड	0	4,51,08,000
19.	पुद्दुचेरी	12,03,000	30,84,000
20.	पंजाब	1,89,36,000	
21.	राजस्थान	2,66,46,000	
22.	सिक्किम	0	87,43,500
23.	तमिलनाडु	3,05,01,000	
24.	तेलंगाना	2,66,46,000	
25.	त्रिपुरा	1,10,56,500	
26.	उत्तर प्रदेश	5,90,28,000	
27.	उत्तराखंड	1,68,39,000	

28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	58,60,000	58,60,000
29.	चंडीगढ़	32,90,000	
30.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	58,60,000	
31.	लद्दाख	45,75,000	45,75,000
32.	लक्षद्वीप	32,90,000	

*****